कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 19.07.2017

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2017 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मैसर्स शर्मा कॉन्ट्रेक्टर्स (प्रो. श्री बच्छराज शर्मा) को अनुबंध सं. 03 वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत आवंटित कार्य "Restoration of Saropa Dam(Additional Work) Tehsil-Kapasan, District-Chittorgarh." के क्लॉज 2 एवं 3 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एम. आर. डूडी, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री आर. के. टेपण, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससंाधन खण्ड, चित्तौड़गढ़ प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित हुये तथा संवेदक श्री बच्छराज शर्मा उपस्थित हुए। कमेटी द्वारा क्लेम्स, विभागीय जवाब एवं तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना जाकर क्लेम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गयाः–

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि कार्यादेश की अनुपालना में प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2013 से ही कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 24.06.2013 तक अर्थात् मात्र 16 दिवसों में ही राशि रूपये 1396895.00 का कार्य सम्पादित कर दिया गया था। तत्पश्चात् वर्षा ऋतु आरम्भ होने से सरोपा बांध में जल भराव हो गया तथा यह जल बांध में 25.03.2014 तक कुल 243 दिवसों तक भरा रहा। पानी खाली होने के पश्चात् कार्य सम्पादित किया गया तथा दिनांक 07.08.2014 तक कुल राशि रूपये 3652283.00 का कार्य पूर्ण कर दिया गया।

पुनः वर्षा ऋतु आ जाने के फलस्परूप दिनांक 07.08.2014 से 11.02.2015 तक कुल 181 दिवसों तक सरोपा बांध में पानी भरा रहा जिसके कारण प्रार्थी को मजबूरन कार्य बन्द करना पड़ा। प्रार्थी द्वारा बारम्बार मौखिक व लिखित आग्रह किये जाने के बावजूद भी प्रार्थी को कार्य का ले–आउट समय पर नहीं दिया गया।

अधिशाषी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत कराया कि अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित थी अतः बारिश के कारण पानी भरने की बाधाएं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। संवेदक द्वारा आवंटित कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण विभिन्न पत्राचार के उपरान्त तथा सक्षम कार्यालय के द्वारा अंतिम नोटिस जारी करने के पश्चात भी कार्य पूर्ण करने में असफल रहने के फलस्वरूप जल संसाधन वृत, भीलवाड़ा कार्यालय के पत्रांकः लेखा/

जसवृभी / 5911 दिनांक 15.06.2015 एवं पत्रांक 6085 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में जल संसाधन खण्ड़ चित्तौड़गढ़ कार्यालय द्वारा की गई अनुशंषा पर अनुबंध की शर्त सं. 2 में उल्लेखित टिप्पणी The compensation, levied as above, shall be recoverable from the running account bill to be paid immediately after the concerned time span. Total compensation for delays shall not exceed 10 percent of the total value of the work. को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांकः लेखा / जसवृभी / 6398 दिनांक 29.06.2015 से निम्न आदेश जारी किये गये :–

1. संविदा की धारा 2 के तहत अनुबंध राशि पर 10% क्षतिपूति।
2. संविदा की धारा 3 के तहत शेष कार्य मूल संवेदक के हर्जे खर्चे पर अन्य ऐजेन्सी / संवेदक से पूर्ण कराया जावे।

उक्त आदेशों की पालना में जल संसाधन खण्ड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा संवेदक के अन्तिम एवं अपूर्ण बिल में भुगतान योग्य राशि व जमा सुरक्षा राशि में से अनुबंध राशि 6672146.00 x 10% = 667215.00 की वसूली कर राजस्व मद में समायोजन कर ली गई। जायका मद समाप्त होने के कारण 3 सी की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की गत बैठक दिनांक 28.11.2016 में दिये गये निर्देशानुसार अनुबंध के क्लाज 2 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्य पर शास्ती की गणना करते हुए शास्ती आरोपित की जावें।

(आर.के.टेपण) अति.मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर	(एम.आर.डूडी) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(लोकेश तिवाड़ी) संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(शिखर अग्रवाल) प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।